

फॉर्म – ए

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) या किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/ पारिश्रमिक आदि या एक निदेशक की सेवा की समाप्ति से संबंधित प्रावधान के संशोधन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन हेतु आवेदन

बैंकिंग कंपनी का नाम: _____

पता: _____

दिनांक _____

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई- 400001

महोदया/ महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ख

हम एतद्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधान/नों में संशोधन के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख के अंतर्गत रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और इससे संबंधित ब्योरे नीचे प्रस्तुत करते हैं। इस संबंध में आप यदि अन्य कोई सूचना आवश्यक समझेंगे तो उसे हम प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

विवरण

क्र.	विवरण	प्रकट की गई जानकारी
(1)	<p>कृपया बताएं कि उक्त संशोधन के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है। यदि निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी है तो संबंधित अनुच्छेद संख्या बताएं।</p> <p>[इस आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी, आम सभा या निदेशक मंडल, जैसी भी स्थिति हो, के उस संकल्प (उसकी तारीख के साथ) की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जानी चाहिए, जिसमें संशोधन/नों को प्राधिकृत किया गया हो। यदि संकल्प क्षेत्रीय भाषा में हो तो उसके अंग्रेज़ी अनुवाद की प्रमाणित प्रति भेजी जाए।</p>	
(2)	संशोधन से संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम	
(3)	उनके द्वारा धारित पद और क्या वह एमडी और सीईओ भी हैं:	
(4)	<p>विवरण -</p> <p>(क) वर्तमान प्रावधान:</p> <p>(b) प्रस्तावित प्रावधान:</p> <p>[उदाहरण के लिए: विनिर्दिष्ट व्यक्ति/यों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या सेवा की समाप्ति या पारिश्रमिक से संबंधित संस्था के अंतर्नियम/ बहिर्नियम का संशोधन; उनके लिए देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त जैसे वेतन, भत्ते, अनुलाभ और लाभ, आदि में वृद्धि के माध्यम से]</p>	
(5)	<p>कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान, उदाहरण के लिए धारा 188, 190, 196, 197 के अनुपालन की स्थिति।</p> <p>कृपया प्रत्येक धारा के लिए स्थिति बताएं।</p>	
(6)	कोई अन्य तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी आवेदन के समर्थन में अथवा अन्य किसी कारण से सूचित करना चाहती हो।	

कृते

(बैंकिंग कंपनी का नाम)

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)